न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर, जिला–दौसा

मु. नं.– 26/24 (विविध)

सुशील कुमार बनाम तहसीलदार तहसील बैजूपाडा

किस्म मुकदमा– प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.07.2024	सुशील कुमार पुत्र कैलाशचन्द जाति मीना निवासी कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा राज. ....प्रार्थी बनाम 1.तहसीलदार बैजूपाडा जिला दौसा ....अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 उपस्थित 1. श्री विक्रमसिंह गुर्जर एडवोकेट– प्रार्थी 2. सरकार पेरोकार–तहसीलदार बैजूपाडा **निर्णय** दिनांक 13.07.2024 आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में पेश हुई। प्रार्थी वकील एवं अप्रार्थी तहसीलदार बैजूपाडा स्वयं उपस्थित हुये। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर पैरा संख्या 01 में वर्णित (जमाबंदी संवत् 2076–2079 ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा के खाता संख्या नया क्रमशः 139) ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थी सहखातेदार है तथा अन्य की खातेदारी की आराजी रही है किन्तु खातेदारान में अपसी सहमति से विवादित आराजी का विभाजन कर रखा है जिसके अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से में काबिज काश्त है। खातेदारों के बीच उक्त आराजी में डोल मेड को लेकर विवाद होता रहता है। पडौसी खातेदार प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी की डोल मेड को तोड कर अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास करते रहते है। वे झगडालू किस्म के व्यक्ति है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी की आराजी में व्यवधान पैदा करते रहते है। प्रार्थी द्वारा कानूनन रूप से उक्त भूमि की पैमाइश करवाये जाने हेतु तहसीलदार बैजूपाडा से निवेदन किया लेकिन पैमाईश नहीं की गयी। इसलिये न्याय हित में जरिये प्रशासन उक्त आराजीयात की पत्थर गढी करवाया जाना न्यायहित में आवश्यक है तथा पत्थर गढी में आने वाले किसी भी अवरोध को हटाये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करे। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी के सरकार पैरोकार उपस्थित हुए । अप्रार्थी द्वारा जवाब पेश किया गया। हमने प्रार्थीगण के वकील एवं सरकार पक्ष की बहस सुनी जिसका मनन किया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा में संवत 2076–2079 जमाबंदी में आराजी खसरा नम्बर 225/0.14, 237/0.09, 224/0.08, 236/0.19 है0 में शुभम पुत्र कैलाश चन्द हिस्सा 1/2, सुशील कुमार पुत्र कैलाश चन्द हिस्सा 1/2 जाति मीना की सहखातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। पडौसी खातेदार उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)	

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी की डोल मेड को तोड कर अपनी आराजी में मिलाने का प्रयास करते रहते है। इसलिये प्रार्थी की आराजी का सीमाज्ञान से पत्थरगढी किया जाना न्याय की दृष्टि से उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज0 भू0राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः राष्ट्रीय लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 128 राज.भू0 राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम कंचनपुरा तहसील बैजूपाडा जिला दौसा आराजी खसरा नम्बर 225/0.14, 237/0.09, 224/0.08, 236/0.19 है0 का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी किये जाने हेतु तहसीलदार बैजूपाडा द्वारा टीम गठित की जावे एवं सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी की जावे तथा सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी करवाने से पूर्व खातेदारो को दिनांक व समय बाबत् नोटिस दिया जाकर सूचित किया जावे। सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित किया जावे तथा पर्चा तैयार किया जाकर सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी का पूर्ण विवरण अंकित करें तथा उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी कराये जावें। तहसीलदार बैजूपाडा को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.7.2024 को राष्ट्रीय लोक अदालत कैम्प महवा में सुनाया गया।

सदस्य
राजस्व अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच महवा

न्यायिक अधिकारी
राष्ट्रीय लोक अदालत
बेंच महवा

Scanned with CamScanner